

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)
प्रेस नोट

- थाना अटरू, बांरा के सहायक उपनिरीक्षक को 15,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जयपुर, 7 दिसम्बर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देशों पर ए.सी.बी. की बूंदी इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये बांरा में थाना अटरू के सहायक उपनिरीक्षक पुलिस हीराचंद को 15,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि " परिवादी के तीन ट्रेक्टरों से बजरी परिवहन करने एवं नाव चलाकर नदी से रेत निकालने की एवज में थाना अटरू के सहायक उप निरीक्षक हीराचंद द्वारा मासिक बन्दी के रूप में 48,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर ए.सी.बी. के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर आज बांरा में ए.सी.बी. की बूंदी इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री तरुणकांत सोमानी एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये थाना अटरू के सहायक उपनिरीक्षक पुलिस हीराचंद को 15,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में आरोपी के सरकारी आवास की तलाशी में 76,500 रूपये नकद मिले हैं। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

ए.सी.बी. महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि ए.सी.बी. राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।